



Meticulous Investigation & Prosecution Operation Conviction



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में 01 वर्ष के अन्तर्गत गैर इरादतन हत्या के आरोपी कुंवरपाल, मोहित, कमल उर्फ कालू, सूरज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

BAGHPAT POLICE

अवगत कराना है कि अभियुक्त कुंवरपाल, मोहित, कमल उर्फ कालू, सूरज पुत्रगण वेदू निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2023 में गैरइरादतन हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 37/2023 धारा 304/504 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप 01 वर्ष के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कुंवरपाल, मोहित, कमल उर्फ कालू, सूरज को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 304 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 19.03.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 69/24 धारा 302/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त सहित अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.03.2024 को थाना बिनौली पर वादी श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त ने उसके पुत्र राहुल को ट्रैक्टर ले जाते समय अभिषेक कटारिया स्कूल के पास जान से मारने की नीयत से गोली मार दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना की कार्यवाही आरंभ की गयी । इलाज के दौरान राहुल की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियोग को धारा



307 भादवि से धारा 302/120बी भादवि में तरमीम किया गया ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर बागपत के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना बिनौली पर 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसके द्वारा मैराथन प्रयास करते हुए मु0अ0सं0 69/24 धारा 302/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-एक महिला ।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 01 तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 303 ऋषभ कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-का0 478 अजीत थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-का0 467 टिंकू अधाना थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-म0का0 870 मनीषा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8-म0का0 326 रश्मि थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना - बालैनी

दिनांक 19.03.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/24 धारा 379/411/34 भादवि में वांछित
01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.03.2024 को थाना बालैनी पर वादी मौहम्मद उमर पुत्र इसाक निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी बकरी जंगल ग्राम दौलतपुर में चरने के लिए गयी थी , जहाँ से कुछ अज्ञात अभियुक्त उसे अर्टिका गाडी नं0 HR-06AV-



8997 में डालकर चोरी कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- दिनांक 16.03.2024 को उक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए बकरा/बकरी चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 बकरी व घटना में प्रयुक्त 01 गाडी अर्टिका नं0 HR-06AV-8997 बरामद की जा चुकी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/24 धारा 379/411/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01 महिला ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 946/21 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा ।
- 2-मु0अ0सं0 242/22 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा ।
- 3-मु0अ0सं0 390/22 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा ।
- 4-मु0अ0सं0 127/23 धारा 380 भादवि थाना कोसली जनपद रेवाडी हरियाणा ।
- 5-मु0अ0सं0 55/24 धारा 379 भादवि थाना भवन जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष सुश्री साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का0 997 सोनू थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-म0का0 488 वर्षा थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 19.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से
45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 169/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामसुन्दर पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 19.03.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/188/307/323 /504 भादवि से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 06 लोहे/प्लास्टिक के पाइप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.03.2024 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा छपरौली में दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना छपरौली पुलिस मौके पर पहुंची,



जहां पर प्रथम पक्ष के अभियुक्तगण 1.सचिन, 2.अनुज, 3. विकाश पुत्रगण कालूराम निवासीगण पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत तथा द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 1.निश्चल पुत्र सुखमाल चंद, 2.तुषार पुत्र सचिन, 3.आकाश पुत्र नवीन, 4.सचिन उर्फ सोनू पुत्र सुखमाल निवासीगण पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डे व लोहे/प्लास्टिक के पाइप लेकर एक-दूसरे के साथ गाली-गलौच करते हुए मैन रोड़ कस्बा छपरौली पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर रहे थे। इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/188/307/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/188/307/323/504 भादवि से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 06 लोहे/प्लास्टिक के पाइप बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सचिन पुत्र कालूराम निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-अनुज पुत्र कालूराम निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-विकाश पुत्र कालूराम निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-निश्चल पुत्र सुखमाल निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-तुषार पुत्र सचिन निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6-आकाश पुत्र नवीन निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 06 प्लास्टिक/लोहे के पाइप ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अनूप कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 अवधेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6-का0 227 अनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 7-आरक्षी चालक इरशाद थाना छपरौली जनपद बागपत ।



ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 47/24 धारा 366 भादवि व मु0अ0सं0 231/2023 धारा 366 भादवि से संबंधित 02 अपहृताओं को किया सकुशल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 47/24 धारा 366 भादवि व मु0अ0सं0 231/2023 धारा 366 भादवि से संबंधित 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली ।
- 2-उ0नि0 श्री उदयवीर थाना छपरौली ।
- 3-है0का0 586 लोकेश भाटी थाना छपरौली ।
- 4-म0का0 540 रजनी थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-रामनरेश पुत्र खचेडू निवासी ग्राम हबीबपुर नंगला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-भंवर सिंह पुत्र रामपत निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-स्वर्ण सिंह उर्फ लाला पुत्र रामफल सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-राजेन्द्र पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

5-प्रहलाद पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

6- शादाब पुत्र जरीफ निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

7-सुदेश पुत्र बृजवीर निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बालैनी पुलिस टीम ।

2-थाना दोघट पुलिस टीम ।

3-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।

4-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।

5-थाना बड़ौत पुलिस टीम ।

